



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03-09-2020

दिनांक 01/02-09-2020 को रात्रि थाना चिनहट 01, जानकीपुरम् 01, मोहनलालगंज 01, पी0जी0आई0 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

### डी0सी0पी0 पश्चिमी

#### सट्टा खेलते समय गिरफ्तार।

थाना ठाकुरगंज:-दिनांक 02-09-2020 को एस0आई0 श्री हजरत अली थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-अब्दुल वली उर्फ वाली पुत्र गुलाम मुस्तफा निवासी म0न0 465/32 हाता सितारा बेगम थाना ठाकुरगंज लखनऊ को रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान नैपियर रोड पार्ट 01 पार्क के पास ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 04 अद्द सट्टा पचएँ व 620/-रूपये नकद बरामद कर थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

#### अभियुक्त गिरफ्तार।

वजीरगंज:-दिनांक 02-09-2020 को एस0आई0 श्री नागेन्द्र तिवारी थाना वजीरगंज लखनऊ द्वारा अभि0 1-कुलदीप सिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को अवध क्लार्क तिराहे से ञनि देव मन्दिन जाने वाली रोड़ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का एक अदद लैपटाप, एक अदद कीबोर्ड, एक अदद माउस व एक अदद चार्जर बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### डी0सी0पी0 उत्तरी।

#### गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

हसनगंज:-दिनांक 03-09-2020 को निरीक्षक श्री केटाव कुमार तिवारी हसनगंज लखनऊ द्वारा अभि0 1-सरनाम सिंह यादव पुत्र स्व0 अटोक यादव निवासी 538क/85 त्रिवेणीनगर-प्रथम थाना हसनगंज लखनऊ 2-अजय विटवकर्मा उर्फ फैसल अंसारी पुत्र राजू विटवकर्मा निवासी बरौलिया डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

**बंथरा:**—दिनांक 03-09-2020 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव निवासी मधुवन नगर आलमबाग लखनऊ ने थाना बंथरा पर सूचना दिया कि वादी का ग्राम खसरवारा लालता सिंह बेयर हाउस के सामने निर्माणाधीन गणपति गेस्ट हाउस है, जहां पर काम चल रहा है। दिनांक 01/02-09-2020 की रात्रि को वादी के गेस्ट हाउस में घुसकर कमरों में लगे तालों के कुण्डे तोड़कर सभी कमरों के बाथरूम से पीतल की सभी टोटिया एवं सावर, वायरिंग का तार व सीलिंग फैन को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना बंथरा पर मु0अ0सं0 323/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री जौलेन्द्र सिंह सेंगर मो0नं0 9997736625 द्वारा की जा रही है।